



सप्तदश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-12.07.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री सत्यदेव राम,
संवि०सं०
श्री महा नंद सिंह,
संवि०सं०
श्री रामबली सिंह यादव,
संवि०सं०
श्री अजीत कुमार सिंह,
संवि०सं०
श्री महबूब आलम,
संवि०सं०
श्री संदीप सौरभ,
संवि०सं०

“बिहार में तकरीबन एक करोड़ की आबादी जिस जमीन पर राजस्व एवं भूमि दशकों से बसी है, उस जमीन पर उनका मालिकाना हक नहीं सुधार / है। बेदखली, विस्थापन, बुल्डोजर के साए में जीने वाले इन नगर विकास एवं दलित गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ आवास नहीं मिल रहा है, क्योंकि जमीन के कागज इनके पास नहीं है। तटबंधों के चौड़ीकरण, तालाबों के जीर्णोद्धार के नाम पर इनके ऊपर दमन का प्रतीक बुल्डोजर चलाना आम हो गया है। भू-माफिया के प्रशासनिक वर्चस्व के चलते पचासधारी भूमिहीनों को भी उजाड़ा जा रहा है। ये ताकतवर नए-पुराने माफिया मनमाफिक फैसले जुगाड़ कर ले रहे हैं। आजादी के बाद पी०पी० एक्ट 1948 आज की स्थिति में प्रभावी नहीं है। पंचायतों को मिलाकर नगर निकायों का नया विस्तार हुआ है लेकिन नगर निकायों में आवासीय भूमि का कोई प्रावधान नहीं रहने के चलते लाखों दलित-गरीब परिवारों के घर उजड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतः बिहार को गरीबी-पिछड़ेपन के दुष्चक्र से बाहर निकालने तथा सामाजिक न्याय के संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए राज्य के तमाम अनधिकृत बसावटों का मुकम्मल सर्वे कराने एवं नया आवास कानून बनाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

2. श्री राकेश कुमार रौशन,
संवि०स०
श्री प्रकाश वीर,
संवि०स०
ई० शशि भूषण सिंह,
संवि०स०
श्री पंकज कुमार मिश्र,
संवि०स०
श्री ललित नारायण मंडल,
संवि०स०

“पाटलिपुत्र स्थित औद्योगिक क्षेत्र सहित पूरे राज्य के जिलों उद्योग / में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में वस्तु निर्माण क्षेत्र के इकाइयों को नगर विकास एवं भू-भाग आवंटित किया गया, परन्तु शहर के विस्तार होने के कारण प्रायः सभी औद्योगिक क्षेत्र शहर के बीच आ गयी, जिसमें पटना औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है।

अतः शहरी क्षेत्र होने के कारण केवल सेवा प्रक्षेत्र के इकाई यथा-अस्पताल, मॉल, होटल, टेक्निकल इन्स्टीच्यूट, ट्रेनिंग सेंटर, शिक्षण संस्थान आदि की स्थापना करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/2023- 2514 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 जुलाई, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार) 11/07/23
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/2023- 2514 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 जुलाई, 2023 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार) 11/07/23
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/2023- 2514 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 जुलाई, 2023 ई०।


प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग तथा उद्योग विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजीव कुमार) 11/07/23
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-22/2023- 2514 / वि०स०, पटना, दिनांक- 11 जुलाई, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(संजीव कुमार) 11/07/23
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।


11/7/23